न्यायालय : सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 110/2019

उनवान :

1. दिनेश कुमार पुत्र हीरालाल जाति जाट निवासी गांव कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. सुलतान पुत्र मुखा जाति जाट निवासी गांव कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. हीरालाल पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी गांव कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. पवनकुमार पुत्र हीरालाल जाति जाट निवासी गांव कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. कृष्णा पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी गांव कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. सुमित्रा पुत्री सुलतान जाति जाट निवासी गांव कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. विनोद पुत्र मूर्ती पुत्री सुलतान पत्नी देवीलाल जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. रोहीताश पुत्र मूर्ती पुत्री सुलतान पत्नी देवीलाल जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. भारतीय स्टेट बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक व दुरूस्ती रिकार्ड

अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री राजेन्द्र कुमार गोयल **: वादी**

वकील श्री रविन्द्र मोटसरा : **प्रतिवादी सं0 1 ता 7**

निर्णय **दिनांक :** 18-03-2020

संक्षेप में दावा के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 335/332 के खसरा सं0 133/2 की 1.682 है0, खसरा सं0 134/2 की 0.847 है0 खसरा सं0 551/3 की 3.478 है0, खसरा सं0 591/2 की 2.517 है0 कुल क्षेत्रफल 8.524 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि वादी के दादा प्रतिवादी सं0 1 सुलतान के नाम खातेदारी दर्ज है एवं मौजा कणाऊ के खाता सं0 336/331 के खसरा सं0 133/3 की 1.682 है0, खसरा सं0 134/3 की 0.847 है0, खसरा सं0 551/4 की 3.478 है0, खसरा सं0 591/3 की 2.517 है0 कुल क्षेत्रफल 8.524 है0 बारानी कृषि भूमि में वादी के दादा सुलतान के नाम 97–1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। वादी [illegible] प्रतिवादी सं0 1 का पौत्र है, प्रतिवादी सं0 2 वादी का पिता है प्रतिवादी सं0 3 वादी का सगा भाई है। प्रतिवादी सं0 4, 5 वादी की भुवा है और प्रतिवादी सं0 6, 7 प्रतिवादी सं0 1 की पुत्री मूर्ती की संतान है मुर्ती की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिसान दावा में प्रतिवादी सं0 6 व 7 पक्षाकार बनाये गये है। वाद भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद पैतृक सम्पाति है जो प्रतिवादी सं0 1 को अपने पिता मुखा से विरासतन प्राप्त हुई है, जिसमें प्रतिवादी सं0 1 व 2 के वारिसानों का जन्म से हक निहित है। प्रतिवादी सं0 1 सुलतान परिवार का कर्ता खानदान होने के कारण भूमि तन्हा उनके नाम खातेदारी दर्ज हो गई।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:45:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज रहने से वादी व प्रतिवादीगण के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।प्रतिवादी सं0 2 हीरालाल की बहनों ने अपने जीवन काल में ही वादी व प्रतिवादी स0 2 व 3 के पक्ष में अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा तर्क कर शुन्य कर लिया था। इसलिए उपर वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 4 ता 7 का कोई हक व हिस्सा निहित नहीं है। इसलिए उपर वर्णित कृषि भूमि में वादी दिनेश कुमार 4/15 हिस्सा, प्रतिवादी सख्या 1 सुलतान 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 हीरालाल 4/15 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 पवन कुमार 4/15 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3, 5, 7 ने इकबालदावे पेश किये। प्रतिवादीगण सं0 4 व 6 ने जबावदावा पेश किया। प्रतिवादी सं0 8 ने जबाबदावा पेश किया।

वाद एवं प्रतिवाद के आधार पर तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 135/132 के खसरा सं0 133/2, खसरा सं0 134/2, 551/3, 591/2 की कुल 8.524 हे0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि मिकर के दादा के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 336/331 के खसरा सं0 133/3, 134/3, 551/4, 591/3 की कुल 8.524 है0, बारानी खातेदारी कृषि भूमि में वादी के दादा सुलतान के नाम 97–1/2 हिस्सा में प्रतिवादी सुलतान अकेले की बजाय वादी दिनेश कुमार 4/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 सुलतान 1/5 हिससा, प्रतिवादी सं0 2 हीरालाल 4/15 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 पवन कुमार 4/15 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है ?

– वादी

2. आया कि वाद भूमि दादालाई एवं पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक निहित है ?

– वादी

3. अनुतोष ?

साक्ष्य वादी में वादी दिनेश कुमार के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 से 3 प्रदर्शित करवाये। पत्रावली बहस हेतु रखी गई।

बहस वकील वादी सुनी गई दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद भूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का भी जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने ग्राम कणाऊ के राजस्व रिकार्ड में अपने दादा के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है।

हस्तगत वाद में दो तनकीयात कायम की गई है चूंकि दोनों तनकीयात एक दूसरे पर आधारित है इसलिए [illegible] साथ किया जाना उचित है। वादी ने अपने दावा में वाद भूमि संयुक्त [illegible] वार की जद्दी जायदाद पैतृक सम्पति होना, प्रतिवादी सं0 [illegible] होना एवं प्रतिवादी सं0 2 हीरालाल की बहनों द्वारा अपने जीवन [illegible] में ही वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पक्ष में अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा तर्क कर देना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादी ने प्रदर्श 1 सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम कणाऊ खाता सं0 335/332 व 336/331 सम्वत् 2072–75 प्रदर्शित करवाई जिसमें वाद भूमि वादी के दादा सुलतान के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में सुलतान के वारिसान में एक पुत्र हीरालाल उर्फ हीराराम,

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:45:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

दो पुत्रियां कृष्णा व सुमित्रा एवं एक पुत्री मूरती उर्फ राममुर्ति फौत होना जिसके वारिसान में दो पुत्र विनोद व रोहिताश कुमार होना एवं हीरालाल उर्फ हीराराम के वारिसान में पत्नी गुड्डी देवी, दो पुत्र दिनेश कुमार व पवन कुमार होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 ने अपने इकबालदावों व जबाब में वादी के दावा को स्वीकार किया है। इस प्रकार दोनों तनकीयात वादी के पक्ष में तय की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद में सर्जित दोनों तनकीयात वादी के पक्ष में तय की जा चुकी है। इस प्रकार वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 335/332 के खसरा सं0 133/2 की 1.682 है0, खसरा सं0 134/2 की 0.847 है0 खसरा सं0 551/3 की 3.478 है0, खसरा सं0 591/2 की 2.517 है0 कुल क्षेत्रफल 8.524 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि वादी के दादा प्रतिवादी सं0 1 सुलतान के नाम खातेदारी दर्ज है एवं मौजा कणाऊ के खाता सं0 336/331 के खसरा सं0 133/3 की 1.682 है0, खसरा सं0 134/3 की 0.847 है0, खसरा सं0 551/4 की 3.478 है0, खसरा सं0 591/3 की 2.517 है0 कुल क्षेत्रफल 8.524 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में वादी के दादा सुलतान के नाम 97–1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 सुलतान के बजाय वादी दिनेश कुमार 4/15 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 सुलतान 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 हीरालाल 4/15 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 पवन कुमार 4/15 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 4 ता 7 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी दिनेश कुमार के नाम 4/15 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 सुलतान के नाम 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 हीरालाल के नाम 4/15 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 पवन कुमार के नाम 4/15 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12-03-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) पादरा

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:45:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

<u>पर्चा डिक्री</u>

न्यायालय : सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा, जिला हनुमानगढ़

<u>पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस</u>

प्रकरण सं0 : 110/2019

अनवान :

1. दिनेश कुमार पुत्र हीरालाल जाति जाट निवासी गांव कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. सुलतान पुत्र मुखा जाति जाट निवासी गांव कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. हीरालाल पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी गांव कणाउ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. पवनकुमार पुत्र हीरालाल जाति जाट निवासी गांव कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
4. कृष्णा पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी गांव कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. सुमित्रा पुत्री सुलतान जाति जाट निवासी गांव कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. विनोद पुत्र मूर्ती पुत्री सुलतान पत्नी देवीलाल जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. रोहीताश पुत्र मूर्ती पुत्री सुलतान पत्नी देवीलाल जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. भारतीय स्टेट बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेन्द्र कुमार गोयल एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 7 श्री रविन्द्र गोठसरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 335/332 के खसरा सं0 133/2 की 1.682 है0, खसरा सं0 134/2 की 0.847 है0 खसरा सं0 551/3 की 3.478 है0, खसरा सं0 591/2 की 2.517 है0 कुल क्षेत्रफल 8.524 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि वादी के दादा प्रतिवादी सं0 1 सुलतान के नाम खातेदारी दर्ज है एवं मौजा कणाऊ के खाता सं0 336/331 के खसरा सं0 133/3 की 1.682 है0, खसरा सं0 134/3 की 0.847 है0, खसरा सं0 551/4 की 3.478 है0, खसरा सं0 591/3 की 2.517 है0 कुल क्षेत्रफल 8.524 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में वादी के दादा सुलतान के नाम 97–1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 सुलतान के बजाय वादी दिनेश कुमार 4/15 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 सुलतान 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 हीरालाल 4/15 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 पवन कुमार 4/15 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 4 ता 7 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी दिनेश कुमार के नाम 4/15 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 सुलतान के नाम 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 हीरालाल के नाम 4/15 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 पवन कुमार के नाम 4/15 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा ... उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/... को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:45:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)भादरा
(मुकेश बारैठ)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner